निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

वाद संख्याः— 118/2025

दर्ज तिथिः—07.05.2025

1. धनकंवर पुत्री चतरा पत्नी रामकुमार जाति बैरवा निवासी मंडीता तहसील सांगोद हाल निवासनी आरामपुरा कोटा

—वादीनी—

बनाम

1. गंगाबाई बेवा स्व. चतरा
2. कमला पुत्री चतरा
3. पप्पू पुत्र चतरा
4. भैरूलाल पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासीगण राजगढ तहसील सांगोद
5. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्दनपुर तहसील संगोद
6. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोंटा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी.एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री मनोज कुमार वैष्णव (वकील वादी)

श्री हेमन्त कुमार नागर(वकील प्रतिवादी)

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 एक ही परिवार के

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

सदस्य है, तथा आपस में मॉ—पुत्री, भाई— बहन के संबंध रखते है, हम पक्षकारान के कब्जे एवं स्वामित्व की शामलाती पुश्तैनी आराजीयात माल ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता संख्या 163 नया पुराना 161 की खसरा नम्बर 548 रकबा 1.62 है0, ख0न0 61 रकबा 1.34 है0 कुल किता 2 रकबा 2.96 है0 आराजीयात स्थित है। वादीनी द्वारा दावा दायरी से एक माह पूर्व राज्य सरकार की योजना का फायदा लेने के लिए वाद पत्र की मद सं० 1 में वर्णित आराजीयात की राजस्व जमाबंदी निकलवाई तो उसे वादीनी का नाम धनकंवर पुत्री चतरा के स्थान पर रामधनी पुत्री चतरा दर्ज किया हुआ दिखाई दिया जबकि वादीनी का आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज धनकंवर के नाम से दर्ज है। जिसके बाबत वादीनी हल्का पटवारी से मिलने पर उन्होने बताया आप उक्त नाम को संशोधन के लिए न्यायालय उप जिला कलेक्टर सॉगोद के यहाँ डिक्री पारित करने की कार्यवाही किजिए। आज से लगभग 15 वर्ष पुर्व वादीनी के पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा गॉव मे पुछताच करके वादीनी का बोलता नाम रामधनी पुत्री चतरा राजस्व जमाबंदी में दर्ज कर दिया जबकि वादीनी का असल व दस्तावेजी नाम धनकंवर पुत्री चतरा है। वादीनी का बोलता नाम राजस्व लेखो में दर्ज होने पर वादीनी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है जिसके लिए वादीनी को राजस्व जमाबंदी में नाम इंन्द्राज दुरस्त किया जाना अति आवश्यक हो गया है । वादीनी द्वारा दावा दायरी से एक माह पूर्व हल्का पटवारी से मिलने पर उन्होने बताया आप उक्त नाम को संशोधन के लिए न्यायालय उप जिला कलेक्टर सॉगोद के यहाँ डिक्री पारित करने की कार्यवाही किजिए जिसके कारण वादीनी को श्रीमान के यहाँ वाद पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। वाद पत्र मद सं० 1 में वर्णित आराजीयात माल ग्राम राजगढ तह० सॉगोद में होने से न्यायालय को श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है । वाद पत्र में राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार भूमि धारक होने से पक्षकार बनाया गया है। पक्षकार सं० 5 वाद पत्र की गद सं० 1 में वर्णित आराजीयात पर रहन दर्ज होने से सम्बन्धित बैंक जर्ये प्रबन्धक पक्षकार बनाया गया है। वाद घोषणा व दुरस्ती मूल्यांकन 1000रूपये नियत किया जाकर वाद निश्चित न्याय शुल्क

पर अवधि मध्य पेश है । अतः वाद पत्र बावत घोषणा व इंन्द्राज दुरस्ती पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र कि मद सं० 1 में वर्णित आराजीयात माल ग्राम राजगढ पटवार हल्का मंडीता तह० सॉगोद जिला कोटा राज० की खाता सं० नया 161 पुराना 161 कि खसरा सं० 548, 61 कि कुल 2 किता कि 2.96 हेक्टेयर आराजीयात राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादीनी के नाम रामधनी पुत्री चतरा को दुरस्त कर धनकंवर पुत्री चतरा जाति बैरवा करने की घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी किये जाने के आदेश पारित फरमाने की कृपा करें ।

उक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीकी तलबी हो चुकी है। तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक 1650 दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीनी को रामधनी नाम से जाना जाता है परन्तु वादीनी के दस्तावेजों में धनकंवर नाम अंकित है। तहसीलदार सांगोद द्वारा वाद वादीनी स्वीकार करने के उपरान्त प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं होने पर पत्रावली साक्ष्य वादी मे नियत की गई। अधिवक्तावादी द्वारा स्वयं वादीनी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात, विधि का गहनतम अवलोकन किया। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजों के आधार पर दावा वादीनी स्वीकार कर करना उचित समझती हूं।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन, अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादी अपने वाद को सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः वाद वादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि — माल ग्राम राजगढ़ तहसील सांगोद में स्थित आराजी खाता संख्या

नई 163 पुरानी 161 की ख.न. 548 की 1.62 है., ख.न. 61 की 1.34है., कुल किता 2 की कुल 2.96 है. आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम ''रामधनी पुत्री चतरा'' के स्थान पर ''धनकंवर पुत्री चतरा'' दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी में वादीनी के हिस्से पर रहन भार होने की स्थिति में रहन यथावत रहेगा। रहन अदा करने का समस्त भार वादीनी का रहेगा, नाम दुरूस्ती के बाद भी वादीनी की रहन की दैयता यथावत रहेगी। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ९.३.२०२६ को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

श्रीमती सपना कुमारी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारीसांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6–7 जाप्तादीवानी

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

दर्ज तिथिः–07.05.2025

वाद संख्याः– 118/2025

1. धनकंवर पुत्री चतरा पत्नी रामकुमार जाति बैरवा निवासी मंडीता तहसील सांगोद
   हाल निवासनी आरामपुरा कोटा —वादीनी–

बनाम

1. गंगाबाई बेवा स्व. चतरा
2. कमला पुत्री चतरा
3. पप्पू पुत्र चतरा
4. भैरूलाल पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासीगण राजगढ तहसील सांगोद
5. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्दनपुर तहसील संगोद
6. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोंटा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी.एक्ट 1955

उपस्थित :–
श्री मनोज कुमार वैष्णव (वकील वादी)
श्री हेमन्त कुमार नागर(वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसालकतई रूबरू मुझ श्रीमती सपनाकुमारी (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मनोज कुमार वैष्णव वादी मिनजानिबमुदई रूबरू ..... प्रतिवादीगण मिनजानिबमुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि– **माल ग्राम राजगढ़ तहसील सांगोद में स्थित आराजी खाता संख्या नई 163 पुरानी 161 की ख.न. 548 की 1.62 है., ख.न. 61 की 1.34है., कुल किता 2 की कुल 2.96 है. आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम "रामधनी पुत्री चतरा" के स्थान पर "धनकंवर पुत्री चतरा" दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी में वादीनी के हिस्से पर रहन भार होने की स्थिति में रहन यथावत रहेगा। रहन अदा करने का समस्त भार वादीनी का रहेगा, नाम दुरूस्ती के बाद भी वादीनी की रहन की दैयता यथावत रहेगी।**

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

ज ... x ...मुबलिग ....x ...बाबत ...x ..खर्चा इस मुकद में का मय सूद व भारह ...x ...फीस सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... x दृको अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9.3.2026 को जारी की ाई।

मोहर .....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्पअर्जीदावा ,,,,			स्टाम्पवकालतनामा ,,,,		
स्टाम्पवकालतनामा ,,,,	NIL		स्टाम्पअर्जी ,,,,	NIL	
स्टाम्पवजहसबूत ,,,,			महनतानावकील ,,,,		
महनतानावकील ,,,,			खर्चागवाहान ,,,,		
खर्चागवाहान ,,,,			फीसकमि नर ,,,,		
फीसकमि नर ,,,,			बाबतइजराय हुकमनामा ,,,,		
बाबतइजराय हुकमनामा ,,,,			मुतफर्रिक ,,,,		
मुतफर्रिक ,,,,			मीजान ,,,,		
मीजान ,,,,					

नोट :–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्रीमती सपना कुमारी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद